दिनांक 22.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 391/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की प्रशिक्षु प्रान्तीय सिविल सेवा (पीसीएस) अधिकारियों के साथ भेंटवार्ता

आज दिनांक 22.07.2026 को पुलिस मुख्यालय में **प्रान्तीय सिविल सेवा का 90वें आधार भूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 41 प्रशिक्षु अधिकारियों** द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत **श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0** से शिष्टाचार भेंट की गयी।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रशिक्षु प्रान्तीय सिविल सेवा (पीसीएस) अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रशिक्षण के उपरान्त आप सभी विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे, जिनमें उपजिलाधिकारी (एसडीएम) का दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण एवं जनसरोकारों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। एक सक्षम एवं संवेदनशील प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पुलिस सहित अन्य विभागों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए जनसमस्याओं का त्वरित, निष्पक्ष एवं पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना आपकी प्रमुख जिम्मेदारी होगी। प्रशासन एवं पुलिस के बीच बेहतर समन्वय ही सुशासन, प्रभावी कानून-व्यवस्था तथा जनविश्वास की आधारशिला है।

उन्होंने कहा कि तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी का कार्यालय आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों के निस्तारण का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक केन्द्र होता है। राजस्व संबंधी प्रकरणों, न्यायालयीन कार्यों एवं कानून-व्यवस्था के अतिरिक्त भी नागरिक अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सर्वप्रथम उपजिलाधिकारी से ही अपेक्षा रखते हैं। विशेष रूप से भूमि विवाद एवं भू-स्वामित्व से जुड़े मामलों में अत्यधिक संवेदनशीलता, निष्पक्षता एवं समयबद्ध कार्रवाई अपेक्षित है, क्योंकि एक सामान्य नागरिक के लिए उसकी भूमि केवल संपत्ति नहीं, बल्कि उसके जीवनयापन, सम्मान एवं भविष्य का आधार होती है। ऐसे मामलों का न्यायसंगत एवं प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 ने कहा कि जनशिकायतों का निस्तारण एक सतत (On-going) प्रक्रिया है, जिसके लिए निरंतर समीक्षा एवं प्रभावी निगरानी आवश्यक है। उन्होंने खाद, बीज, विद्युत, सिंचाई एवं पेयजल जैसी मूलभूत जनसमस्याओं के समाधान में एसडीएम की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में उनकी कार्यकुशलता एवं संवेदनशीलता से प्रशासन की विश्वसनीयता स्थापित होती है।

उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा, योग्यता एवं क्षमता के बल पर इस प्रतिष्ठित सेवा में चयनित हुए हैं। अतः अपनी इन क्षमताओं का उपयोग पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं दक्षता के साथ शासकीय दायित्वों के निर्वहन में करें तथा सदैव जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य करें।

भेंटवार्ता के दौरान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रशिक्षु अधिकारियों के जिज्ञासा भरे प्रश्नों का उत्तर देते हुये उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गयी।

अन्त में प्रशिक्षु प्रान्तीय सिविल सेवा अधिकारी सुश्री सोनाली सिंह द्वारा उ0प्र0 पुलिस का धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को स्मृति चिन्ह भेट किया गया। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा भी उ0प्र0 पुलिस की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।

प्रशिक्षु अधिकारियों ने पुलिस मुख्यालय स्थित **सोशल मीडिया सेंटर, कंट्रोल रूम, साइबर क्राइम मुख्यालय, जीआरपी मुख्यालय एवं यूपी-112** मुख्यालय का भ्रमण कर वहाँ की कार्यप्रणाली के बारे मे भी जानकारी प्राप्त की गई।

दिनांक 22.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 392/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना बर्रा

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **05 मोबाइल फोन**
- **01 कार आदि बरामद**

दिनांक 22.07.2026 को थाना बर्रा, सर्विलांस व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–ओमकार उर्फ राजवीर सहित 2–अभियुक्त शिवम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 05 मोबाइल फोन, 01 कार आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त ओमकार उर्फ राजवीर थाना बर्रा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त ओमकार उर्फ राजवीर के विरूद्ध कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानों पर धोखाधड़ी, आईटी एक्ट के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बर्रा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–ओमकार उर्फ राजवीर निवासी ईडब्लूएस बर्रा 07 थाना बर्रा कानपुर नगर।

2–शिवम निवासी गुजैनी थाना गोविन्दनगर, कानपुर नगर।

बरामदगी

1–05 मोबाइल फोन।

2–01 कार आदि।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना बिधनू

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 22.07.2026 को थाना बिधनू व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शम्भुआ रेलवे पुल के नीचे फाटक के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अमर सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बर्रा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बिधनू पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अमर सिंह निवासी ग्राम इकघरा थाना बिधनू, कानपुर नगर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद मऊ/थाना कोपागंज

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 22.07.2026 को थाना कोपागंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर इंदारा रेलवे स्टेशन के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त ढ़ेला घायल हो गया, जिसे

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोपागंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बलिया, मऊ के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोपागंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–ढ़ेला निवासी चेला राम का पुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना काकादेव

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी की भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **02 लाख रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 22.07.2026 को थाना काकादेव व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विभिन्न स्थानों से 04 अभियुक्तों 1–विकास उर्फ अद्‌दू 2–गौरव 3–शर्मनलाल 4–अभियुक्ता को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण, 02 लाख रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि थाना काकादेव क्षेत्रान्तर्गत चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना काकादेव पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपये चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त विकास उर्फ अद्दू के विरूद्ध कमिश्नरेट कानपुर नगर व जनपद कानपुर देहात के विभिन्न थानों पर चोरी, आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 26 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना काकादेव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विकास उर्फ अद्दू निवासी आलम चन्द्रपुर कांशीराम कालोनी थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

2–गौरव निवासी ग्राम सन्दलपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

3–शर्मनलाल निवासी गड़ेका पुरवा दिबियापुर थाना दिबियापुर जनपद औरैया।

4–अभियुक्ता।

बरामदगी

1–चोरी की भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–02 लाख रूपये नगद।

3–घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटर साइकिल।

जनपद देवरिया/थाना खुखुन्दू

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **69 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 ट्रक बरामद**

दिनांक 22.07.2026 को थाना खुखुन्दू पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त अंकित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 69 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 ट्रक बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना खुखुन्दू पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अंकित निवासी टीचर कालोनी वार्ड नं0–13 सुगही थाना सलेमपुर जनपद देवरिया।

बरामदगी

1–69 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–01 ट्रक।

- **जनपद शाहजहाँपुर/थाना जलालाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 06 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना जलालाबाद पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–ओमपाल 2–प्रमोद 3–सोनू उर्फ अनुज 4–अमित को धारा 302/304 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 5–अजय 6–सर्वेश उर्फ समरपाल को धारा 302/34/177/195/201 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 55–55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद कुशीनगर/थाना चौराखास (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना चौराखास पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–वीरेन्द्र 2–उदित 3–उपेन्द्र 4–अभियुक्ता को सश्रम आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बस्ती/थाना मुण्डेरवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना मुण्डेरवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 06 पॉक्सों एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विकास को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना छावनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना छावनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजकुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————